

\*प्रेस नोट\*

\*दिनांक 01.12.2025\*

\*जनपद-संतकबीरनगर\*

**\*थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गेंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंदावल \*श्री सर्वदवन सिंह\* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बखिरा \*श्री सतीश कुमार सिंह\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 463/2025 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. जलालुद्दीन पुत्र रमजान अली उर्फ बन्नर निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02.जैनुल आब्दीन उर्फ जैनुल पुत्र रफीकुल्लाह उर्फ रफीक निवासी खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\***

01. जलालुद्दीन पुत्र रमजान अली उर्फ बन्नर निवासी ग्राम खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

02.जैनुल आब्दीन उर्फ जैनुल पुत्र रफीकुल्लाह उर्फ रफीक निवासी ग्राम खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

**\*आपराधिक इतिहास:-\***

**\*जलालुद्दीन पुत्र रमजान अली उर्फ बन्नर निवासी ग्राम खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर\***

मु0अ0सं0 259/2025 धारा 303(2),316(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

**\*जैनुल आब्दीन उर्फ जैनुल पुत्र रफीकुल्लाह उर्फ रफीक निवासी ग्राम खजुरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर\***

मु0अ0सं0 259/2025 धारा 303(2),316(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-\*** वरि0उ0नि0 श्री राजेश कुमार, उ0नि0 श्री प्रभान्शु राय, हे0का0 उमेश यादव, हे0का0 राजीव वर्मा, का0 अंगद यादव ।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस\*** द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*थाना दुधारा पुलिस\*** द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*थाना महुली पुलिस\*** द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 1032 वाहनों से 10,70,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 01.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 1032 वाहनों से 10,70,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

1-थाना /जनपद - थाना कोतवाली खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर।

2-दिनांक घटना- 01.12.2025

3.दिनांक सूचना- 02.12.202

4-वादी/वादिनी/ जाति/ उम्र- श्री काशीनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व० मोती त्रिपाठी निवासी रुदौली उर्फ मठिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, जाति- ब्राह्मण, उम्र-75 बर्ष

5-आरोपी/ जाति/ उम्र-

- आलोक सिंह पुत्र झिनकू सिंह निवासी निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, जाति-क्षत्रिय उम्र- 32।
- अमन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, जाति-क्षत्रिय, उम्र- 21।
- लल्ला शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, जाति-ब्राह्मण, उम्र- 36।
- चन्दन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी अततौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर, जाति-क्षत्रिय, उम्र- अज्ञात।
- कुछ अन्य अज्ञात।

6-घटना का विवरण- दिनांक 02.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी श्री काशीनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व० मोती त्रिपाठी निवासी रुदौली उर्फ मठिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि मेरे पुत्र सन्तोष मणि त्रिपाठी उर्फ भोला घरेलू कामकाज हेतु मेंहदावल बाईपास पर गया था वही पर पहले से घात लगाकर आलोक सिंह पुत्र झिनकू सिंह निवासी निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर उनका भतीजा अमन सिंह पुत्र अज्ञात निवासी अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व लल्ला शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर व कुछ अन्य अज्ञात इन सभी लोगों ने गम्भीर साजिश के तहत मेरे पुत्र को दौड़ाकर गोली मारे तथा मां बहन को गाली देते हुए मौके से भाग गये आलोक सिंह उर्फ छोटे ने लल्ला शुक्ला को उत्तेजित करते हुए कहा कि आज मौका मिला है भोले को जान से मार दो, जो कि यह घटना जान से मारने के नियत से किया था।

6-विवाद का कारण- पुरानी रंजीश

7-कृत कार्यवाही - उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिसबल मौके पर पहुंचकर घायल सन्तोष त्रिपाठी को जिला अस्पताल खलीलाबाद भेजवाया गया जहां से डाक्टरों द्वारा मेडिकल कालेज गोरखपुर रिफर किया गया है मेडिकल कालेज गोरखपुर से ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया है जहां इलाज चल रहा है। घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 01.12.2025 की रात्रि में किया गया है।

8-FIR/गिरफ्तारी/कार्यवाही- उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 1120/2025 धारा 109(1),351(3),352,61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी / कार्यवाही- आलोक सिंह, अमन सिंह व लल्ला शुक्ला को पुलिस हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।